

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-९/आ०-०३-३४/२०२५(स्वा०) /पटना, दिनांक:-.....

डॉ० इरशाद आलम, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरणाटॉड, बगहा-२, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के विरुद्ध वित्तीय वर्ष २०१६-२० में संस्थान में रोगी कल्याण समिति की आयोजित बैठक में प्रखंड प्रमुख पदेन का हस्ताक्षर अंकित नहीं पाये जाने, रोगी कल्याण समिति की भिन्न-भिन्न तिथियों को आयोजित बैठक में सदस्यों के नाम में भिन्नता पाये जाने, जाँच समिति के समक्ष एक्स-रे हेतु परामर्शित संधारित पंजी प्रस्तुत नहीं करने, विज्ञापन प्रकाशित किए बिना ही अस्पताल के आहार एवं पथ्य का कार्य किसी खास व्यक्ति को आवंटित करने, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाल्मीकिनगर में वित्तीय वर्ष २०१५ के पश्चात् रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित किए बिना भिन्न-भिन्न चेकों के माध्यम से राशि की निकासी करने, दिनांक-१२.०२.२०२१ को आहरित की गयी २०,०००/-रु० की राशि के औचित्य को पंजी में संधारित नहीं किये जाने तथा चिकित्सकों के भुगतान में अनियमितता बरतने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०-५००(९) दिनांक-२०.०५.२०२५ द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

२. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच-प्रतिवेदन (अधिगम) में डॉ० आलम के विरुद्ध उचित आरोपों को आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। तत्पश्चात् डॉ० आलम से विभागीय पत्रांक-१२५४(९) दिनांक-१६.१२.२०२५/ द्वारा लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में डॉ० आलम द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

३. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० आलम के समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि सिविल सर्जन, बेतिया के पत्रांक-२०६२ दिनांक-०३.११.२०१७ के प्राप्त निदेश एवं रोगी कल्याण समिति में दिनांक-०२.१२.२०१७ को प्राप्त सहमति से निविदा के माध्यम से एजेंसी के चयन होने तक पथ्य एवं आहार का कार्य प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरणाटॉड के पत्रांक-४५८ दिनांक-२६.१२.२०१७ द्वारा स्थानीय ग्रामीण को प्राधिकृत किया गया, जिससे पथ्य एवं आहार में अनियमितता प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है। दन्त चिकित्सक का उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया गया। एक्स-रे संचालक के कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने की सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गयी थी, परन्तु डॉ० आलम संस्थान के प्रभारी के पद पर दिनांक-०८.०३.२०२२ से २५.०३.२०२२ तक कार्यरत रहे हैं। वर्ष २०१६-२२ की अवधि में रोगी कल्याण समिति के सचिव के पद पर रहते हुए समिति के सदस्यों को बैठक में भाग लेने का अनुरोध करने से संबंधित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतएव डॉ० आलम के विरुद्ध पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने, कार्य में उदासीनता बरतने, वित्तीय अनियमितता के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम-१४(V) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना ०१ (एक) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

१०/०५/२०२५
११/०५/२०२५

4. अतएव डॉ० इरशाद आलम, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरणाटॉड, बगहा-2, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के विरुद्ध पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने, कार्य में उदासीनता बरतने, वित्तीय अनियमितता के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(V) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एव संसूचित की जाती है।
5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/आ०-03-34/2025(स्वा०)/ पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले० एव हक०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-03-34/2025(स्वा०) 390(9) /पटना, दिनांक:- 09.04.26

/ प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, माननीय बिहार विधान सभा द्वारा तारांकित प्रश्न सं०-328 के आलोक में अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डॉ० इरशाद आलम, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरणाटॉड, बगहा-2, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/10
09/04/2026

सरकार के अवर सचिव।